तेजाब से हमला करने के दोषी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

जासं • श्रावस्तीः मामूली विवाद में तेजाब से हमला करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की धराशि में से सभी पीड़ितों को 50-50 हजार रुपये देने के भी आदेश दिए गए हैं।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि 29 जून 2023 को श्रावस्ती क्षेत्र के कटरा बाजार में सड़क पर खड़ी साइकिल हटाने की बात को लेकर बाजार निवासी पप्पू सोनी, ललिता देवी व उनके पति सोमनाथ को गालियां देने लगे। इसके बाद अपने घर में जाकर अंदर बोतल में रखा तेजाब लाकर ललिता देवी, उनके पति सोमनाथ व उनके वाहन चालक राजेश तिवारी, चालक की पत्नी माधुरी के ऊपर फेंक दिया था। इस हमले में सभी के शरीर में फफोले पड़ गए थे और चारों झुलस गए थे। ललिता देवी की तहरीर पर श्रावस्ती थाने में पप्पू सोनी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। विचारण व सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) निर्दोष कुमार ने पप्पू सोनी को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।